

बिहार, सरकार
निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

Online संस्था एवं फर्म के निबंधन संबंधित प्रक्रिया:—

- ✓ संस्था एवं फर्म के निबंधन, हेतु आवेदक को विभागीय वेबसाइट <http://Registration.bih.nic.in> पर जाना होगा।
- ✓ वेबसाइट के e—Services के लिंक पर क्लिक करना होगा। तद्पश्चात e-filing (society Registration) पर क्लिक करें।
- ✓ आवेदक ई—मेल एवं मोबाईल फोन की प्रविष्टि कर नया अकाउंट **Create** कर सकेंगे।
- ✓ अगर आवेदक के पास पहले से Login id एवं Password हो तो वो उसकी प्रविष्टि करेंगे अन्यथा अपना नया अकाउंट खोलेंगे।
- ✓ आवेदक संस्था/फर्म के निबंधन हेतु उसकी विवरणी भरेंगे। संबंधित संस्था/फर्म के सदस्यों की विवरणी भी भरेंगे।
- ✓ संस्था के निबंधन हेतु संबंधित दस्तावेज के स्कैन प्रति को अपलोड करेंगे।
- ✓ संस्था के निबंधन संबंधित शुल्क का Online Payment / Bank Challan के माध्यम से करेंगे।
- ✓ Online Payment के पश्चात आवेदक को एक Application No. (आवेदन संख्या) उन्हे दी जाएगी।
- ✓ तद्पश्चात, विभाग द्वारा आवेदन का निष्पादन होगा। अगर विभाग को आवेदन अथवा अपलोड किये गए दस्तावेज में कोई त्रुटि मिलती है तो आवेदक को SMS द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी। अन्यथा निबंधन महानिरीक्षक के अनुमोदन पर संस्था का निबंधन हो जायेगा। आवेदक को निबंधन संख्या उनके मोबाईल पर SMS से भेजी जायेगी।

आवेदक **Login** कर संस्था/फर्म के निबंधन का प्रमाण पत्र **Print** करा सकेंगे।